भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1922

दिनांक 03 अगस्त, 2018 के लिए प्रश्न

विषय : मदर डेयरी का निजीकरण नहीं किया जाना

1922. श्री हरिवंशः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मदर डेयरी की स्थापना एन॰डी॰डी॰बी॰ अधिनयम के तहत किसानों की सहायता करने के लिए की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 से 2014 तक वर्ष-वार क्रमशः किसानों, किसान सहकारी संस्थाओं, उत्पादक किसान कंपनियों और निजी कंपनियों से कितनी-कितनी मात्रा में दूध खरीदा गया;

(ग) इन स्रोतों को श्रेणी-वार तथा वर्ष-वार कितनी-कितनी औसत कीमत का भुगतान किया गया; और

(घ) सरकार मदर डेयरी को किसानों के संगठन के रूप में बनाए रखने, न कि एकाधिकार हिस्सेदारी वाली निजी कंपनी बनने देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्रीमती कृष्णा राज)

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार मदर डेयरी, दिल्ली एनडीडीबी की एक अनुषंगी इकाई है। मदर डेयरी का उद्देश्य किसानों को उचित लाभ देते हुए उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण आहार तथा पेय पदार्थ प्रदान करना है।

(ख) वर्ष 2004-2014 के दौरान मदर डेयरी द्वारा सहकारिताओं के किसानों, नई पीढ़ी की सहकारिताएं, दूध उत्पादक कंपनियों तथा निजी कंपनियों से खरीदे गए दूध की मात्रा संबंधी वर्षवार ब्यौरा संलग्न है।

(ग) वर्ष 2004-2014 के दौरान मदर डेयरी द्वारा सहकारिताओं के किसानों, नई पीढ़ी की सहकारिताएं, दूध उत्पादक कंपनियों तथा निजी कंपनियों से खरीदे गए दूध के खरीद मूल्य से संबंधित वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न है।

(घ) एनडीडीबी अधिनियम, 1987 की धारा 42 के उपबंध में यह व्यवस्था है कि मदर डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का एक समनुषंगी एकक होगी। इसके अलावा एनडीडीबी बोर्ड ने यह निर्णय किया कि मदर डेयरी को एनडीडीबी के पूर्ण-स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी बनाया जाए। एनडीडीबी का अध्यक्ष मदर डेयरी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष है तथा एनडीडीबी से चयनित एनडीडीबी का एक निदेशक मदर डेयरी फल और सब्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में है। एनडीडीबी अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अनुसार मदर डेयरी की विशेष प्रकृति में किसी भी परिवर्तन से संबंधित कोई निर्णय एनडीडीबी बोर्ड द्वारा लिया जाएगा, जहां अन्य के अलावा केंद्र सरकार के पदाधिकारियों में से एक निदेशक तथा राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों के अध्यक्षों में से दो निदेशक भी उपस्थित होंगे।

अनुबंध

दिनांक 3.8.2018 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1922 के उत्तर के भाग (ख) और (ग)

मदर डेयरी द्वारा दूध की खरीद की मात्रा -हजार किग्रा प्रति दिन

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सहकारी	1,390.87	1,183.57	892.08	646.32	680.62	510.97	406.22	248.20	323.91	153.17
एनजीसी (स्वयं)	56.00	108.81	132.13	308.78	374.41	460.87	763.36	1,131.43	1,246.65	557.18
एमपीसी	-	-	-	-	-	-	-	-	156.58	559.29
निजी			160.41	478.61	615.36	687.81	476.19	555.03	295.00	558.73
कुल	1,446.87	1,292.38	1,184.63	1,433.70	1,670.39	1,659.65	1,645.77	1,934.67	2,022.15	1,828.37

मदर डेयरी द्वारा संरक्षित दूध की खरीद की कीमत रु/.किग्रा.(6.5% **वसा**/9% **एसएनएफ**)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सहकारी	14.35	14.67	17.13	19.47	20.13	23.39	25.94	25.98	28.98	34.83
एनजीसी (स्वयं)	14.35	14.67	17.13	19.47	20.13	23.39	26.77	26.04	29.28	35.95
एमपीसी	14.35	14.67	17.13	19.47	20.13	23.39	27.90	27.75	31.64	35.68
निजी	14.35	14.67	17.13	19.47	20.13	23.39	26.85	27.15	30.20	36.45
कुल	**14.35**	**14.67**	**17.13**	**19.47**	**20.13**	**23.39**	**26.59**	**26.35**	**29.55**	**35.93**

एनजीसी- नई पीढ़ी की सहकारिताएं
एमपीसी - दूध उत्पादक कंपनी